


GROUP PROJECT


By : All Team Members



TOPICS



1. प्रस्ताव और स्वीकृति (Offer & Acceptance)
2. विचार / प्रतिफल (Consideration)
3. पक्षों की क्षमता (Capacity of Parties)





1. प्रस्ताव और स्वीकृति (OFFER & ACCEPTANCE)

1. प्रस्ताव की परिभाषा

[[प्रस्ताव (**Offer**)] वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति (प्रस्तावक) किसी दूसरे व्यक्ति (प्रस्ताव-प्राप्तकर्ता) को अनुबंध करने हेतु कोई निश्चित शर्तों के साथ प्रस्ताव देता है, ताकि जब वह इसे स्वीकार कर ले, तो एक वैध अनुबंध बन जाए।






कानूनी परिभाषा (**SECTION 2(A)**) – भारतीय अनुबंध अधिनियम, **1872**,

“जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह किसी कार्य को करने या न करने के लिए तैयार है, ताकि दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले — तो यह ‘प्रस्ताव’ कहलाता है।”

2. वैध प्रस्ताव के तत्व

कोई भी प्रस्ताव तभी वैध (Valid) माना जाता है जब वह कुछ निश्चित कानूनी शर्तों को पूरा करता है। यदि इन शर्तों का पालन नहीं होता, तो वह प्रस्ताव कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा और उस पर कोई वैध अनुबंध नहीं बन सकता।



1. प्रस्ताव स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए
प्रस्ताव में कोई भ्रम या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण:

“मैं सोच रहा हूँ कि
बाइक बेचूँ” → अस्पष्ट




“मैं ₹10,000 में अपनी
बाइक बेचने को तैयार हूँ” → स्पष्ट



3. प्रस्ताव के प्रकार

भारतीय अनुबंध अधिनियम, **1872** के अनुसार प्रस्ताव कई प्रकार के हो सकते हैं। नीचे उनके नाम और उदाहरण दिए गए हैं।



1. सामान्य प्रस्ताव (GENERAL OFFER)
यह प्रस्ताव सभी लोगों के लिए होता है,
न कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए।





उदाहरण

एक कंपनी ने विज्ञापन दिया – “जो व्यक्ति हमारा साबुन इस्तेमाल करेगा और उसे एलर्जी होगी, तो हम ₹5000 देंगे।”

→ यह एक **GENERAL OFFER** है।



2.विचार , प्रतिफल (CONSiDERATION)

विचार की परिभाषा

“विचार वह मूल्य है जिसे प्रत्येक पक्ष अनुबंध में देता या प्राप्त करता है।”

यह परिभाषा बताती है कि जब दो या दो से अधिक पक्ष एक अनुबंध में शामिल होते हैं,
तो उनमें से प्रत्येक कुछ देता है या प्राप्त करता है,
जो उस अनुबंध को वैध (**VALID**) और प्रभावी (**ENFORCEABLE**) बनाता है।



उदाहरण

A, B को ₹10,000 देता है ताकि **B** उसकी बाइक उसे दे दे।

A का पैसा, और **B** की बाइक — दोनों विचार हैं।




विचार के प्रकार

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (INDIAN CONTRACT ACT, 1872)

के अनुसार, विचार के मुख्य तीन प्रकार होते हैं:

1. ♦ पूर्व विचार (PAST CONSIDERATION),
2. ♦ वर्तमान विचार (PRESENT CONSIDERATION),
3. ♦ भविष्य का विचार (FUTURE CONSIDERATION),



उदाहरण

1. ♦ पूर्व विचार (PAST CONSIDERATION)

वह मूल्य जो किसी पक्ष ने अनुबंध बनने से पहले दिया हो।



उदाहरण:

A ने **B** की जान बचाई। बाद में **B** ने **A** से कहा कि वह उसे ₹5,000 देगा।

☞ यहाँ **A** की सेवा पूर्व विचार है, क्योंकि यह वादा होने से पहले दी गई।

वैध विचार की विशेषताएं


वैध विचार (VALID CONSIDERATION) की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ

बिल्कुल सही तरीके से संक्षेप में बताई हैं:

1. ♦ विचार कानूनी होना चाहिए (CONSIDERATION MUST BE LAWFUL)
2. ♦ विचार वास्तविक होना चाहिए (CONSIDERATION MUST BE REAL AND POSSIBLE)
3. ♦ विचार का कोई मूल्य होना चाहिए (CONSIDERATION MUST HAVE SOME VALUE)

1. ♦ विचार कानूनी होना चाहिए (CONSIDERATION MUST BE LAWFUL)

1. विचार किसी अवैध, अनैतिक या कानून द्वारा निषिद्ध कार्य से संबंधित नहीं होना चाहिए।
2. अगर विचार अपराध, धोखाधड़ी, या सामाजिक नीति के खिलाफ है, तो अनुबंध अमान्य होगा।

 उदाहरण:

“किसी व्यक्ति की हत्या करने पर ₹50,000 देने का वादा” —
यह अवैध विचार है और अनुबंध अमान्य।

2. ♦ विचार वास्तविक होना चाहिए
(CONSIDERATION MUST BE REAL AND POSSIBLE)

1. विचार वास्तविक होना चाहिए, न कि काल्पनिक या असंभव।
2. यह ऐसा होना चाहिए जिसे व्यवहार में किया या पाया जा सके।

 उदाहरण:

“मैं तुम्हें ₹10,000 दूँगा अगर तुम चाँद पर पहुंच जाओ” — यह अवास्तविक विचार है और मान्य नहीं।

3. ♦ विचार का कोई मूल्य होना चाहिए (CONSIDERATION MUST HAVE SOME VALUE)

1. विचार का आर्थिक या भावनात्मक कोई मूल्य होना चाहिए, भले ही वह न्यूनतम ही क्यों न हो।
2. मूल्य का बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं, बस उसका "मूल्यवान" होना ज़रूरी है।

 उदाहरण:

किसी वस्तु को ₹1 में बेचना — विचार का मूल्य कम है, लेकिन फिर भी वैध है।



पक्षों की क्षमता (CAPACITY OF PARTIES)





क्षमता की परिभाषा




“क्षमता” से तात्पर्य उस कानूनी योग्यता **LEGAL COMPETENCE** से है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति वैध रूप से अनुबंध करने के योग्य होता है।


अर्थात्, कोई व्यक्ति तभी वैध अनुबंध कर सकता है

जब वह कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सक्षम **CAPABLE** हो।






क्षमता की कमी के प्रभाव



1. वयस्क होना **(MAJORITY – 18 वर्ष या उससे अधिक आयु)**

2. समझदार मानसिक स्थिति **(SOUND MIND)**

3. कानून द्वारा अयोग्य न होना **(NOT DISQUALIFIED BY LAW)**



क्षमता के आवश्यक तत्वः



जब किसी व्यक्ति में वैध अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, यानी वह कानूनन अनुबंध के लिए अयोग्य (**INCOMPETENT**) होता है, तो इसका अनुबंध पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।



1. ⚖️ अनुबंध शून्य होता है (**CONTRACT IS VOID AB INITIO**):

2. 🛑 अयोग्य पक्ष पर अनुबंध लागू नहीं किया जा सकता

3. 🗝️ रक्षक/अभिभावक की भूमिका (**GUARDIAN'S ROLE**)

1. ⚖️ अनुबंध शून्य होता है **(CONTRACT IS VOID AB INITIO)**:


- यदि कोई नाबालिग (**MINOR**), असमझ व्यक्ति (**UN SOUND MIND**), या कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति अनुबंध करता है, तो वह अनुबंध शुरू से ही शून्य (**VOID AB INITIO**) होता है।
- ऐसा अनुबंध न तो लागू किया जा सकता है और न ही बाध्यकारी होता है।



ALL TEAM MEMBERS

GROUP NO.12

**RAJESHVARI, RAKHI VERMA, RANJEET, RANJEETA,
RENUKA BANJARE, RINKI, RISHIKA AGRAWAL, ROHIT KUMAR,
ROMA YADAV, ROSHAN VERMA, RUPCHAND, RUPESHWARI VERMA,
SADHANA NIRMALKAR, SAHIL DAS MANIKPURI, SAKSHI DHRUW,
SAMIKSHA, SANIYA QURAISHI, SANJANA CHANDEL, SANJU SAHU,**



THANK
YOU